

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 दिसंबर 2020—अग्रहायण 13, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के
आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत
की अधिसूचनाएं, (7) लोक—भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 9

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2020

क्र. एफ 1 (ए) 59—2012—ब—2—दो.— राज्य शासन, श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (अ.अ.वि.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 सितम्बर से 06 अक्टूबर 2020 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तरि स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (अ.अ.वि.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए) 82—2013—ब—2—दो.— राज्य शासन, श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा रेन्ज, रीवा को दिनांक 17 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक बाईस दिवस तक अवकाश पर रहे हैं अतः उक्त अवधि का लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तरि स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चौवालिस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए) 90-2008-ब-2-दो.— राज्य शासन, श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पु.मु. भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 05,06,07,09 एवं 10 नवम्बर 2020 तक कुल पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 08 नवम्बर 2020 के विज्ञाप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश अवधि में गृह नगर की यात्रा के बदले भारत भ्रमण हेतु सतना (मध्यप्रदेश) जाने की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।—

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--------|
| 1. | श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र, | — | स्वयं |
| 2. | कु. नविशा मिश्र, | — | पुत्री |

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहती।

क्र. एफ 1 (ए) 116-2011-ब-2-दो.— राज्य शासन, श्री जी.जी. पाण्डेय, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इन्डौर को दिनांक 07 से 18 दिसम्बर 2020 तक बारह दिवस अर्जित एवं 06 एवं 19-20 दिसम्बर 2020 के 2020 विज्ञाप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री जी.जी. पाण्डेय, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सुनील तिवारी, रापुसे, पुलिस अधीक्षक, नारकोटिक्स, प्रकोष्ठ, मन्दसौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी.जी. पाण्डेय, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इन्डौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जी.जी. पाण्डेय, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जी.जी. पाण्डेय, भापुसे को अवकाश वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी.जी. पाण्डेय, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2020

क्र. एफ 1 (ए) 93-2015-ब-2-दो.— राज्य शासन, श्री अनुराग शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेन्ज, बालाघाट को दिनांक 17 से 29 सितम्बर 2020 तक तेरह दिवस लद्युकृत/परिवर्तित कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लद्युकृत अवकाश खाते से 26 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2020

क्र. एफ 1 (ए) 147-1990-ब-2-दो.— राज्य शासन, श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, जेला, मध्यप्रदेश भोपाल की अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 01 से 18 दिसम्बर 2020 तक कुल अठारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29-30 नवम्बर 2020 के विज्ञाप्त अवकाश के लाभ के साथ गृह नगर की यात्रा के बदले भारत भ्रमण हेतु अकेले अंडमान-निकोबार जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जेल मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश काल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पा जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2020

फा. क्र. 3328—2020—इक्कीस—ब(एक), राज्य शासन एतदद्वारा धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय जबलपुर में परीक्षा नियंत्रक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा परीक्षा नियंत्रक धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय जबलपुर की प्रतिनियुक्ति अवधि में दिनांक 05 अक्टूबर 2021 तक एक वर्ष की वृद्धि करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2020

पंजी क्र. 4345—2020—इक्कीस—ब(दो), राज्य शासन एतदद्वारा तहसील—सीतामऊ, जिला—मंदसौर में विभागीय आदेश दिनांक 5 अप्रैल 1982 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री ओमप्रकाश राजौरिया को दिनांक 20 अगस्त 2020 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के माध्यम से प्राप्त आवेदन उनके द्वारा खेच्छा से आगे नोटरी व्यवसाय चालू नहीं रखने के आधार नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2020

पंजी क्र. 4438—2020—इक्कीस—ब(दो), राज्य शासन एतदद्वारा तहसील—कन्नौद, जिला—देवास में विभागीय आदेश दिनांक 5 जनवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री. शरदचंद्र गुप्ता का दिनांक 28 जून 2020 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 4517—2020—इक्कीस—ब(दो), राज्य शासन एतदद्वारा तहसील—मैसदेही, जिला—बैतूल में विभागीय आदेश दिनांक 3 जुलाई 2003 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री. अनिरुद्ध मालवीय का दिनांक 17 दिसम्बर 2019 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 4518—2020—इक्कीस—ब(दो), राज्य शासन एतदद्वारा तहसील—जौरा, जिला—मुरैना में विभागीय आदेश दिनांक 18 अप्रैल 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री. पुरुषोत्तम लाल मंगल का दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, अपर सचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्र. 1593.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10—1—2015—एक—9, दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 25—28 जुलाई 2017 तक आयोजित की गई, जिसमें वनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 25 जुलाई 2017 को प्रथम—प्रक्रिया, दिनांक 26 जुलाई 2017 को द्वितीय—लेखा, दिनांक 27 जुलाई 2017 को तृतीय—सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 25 जुलाई 2017 को प्रथम—वन विधि, दिनांक 26 जुलाई 2017 को द्वितीय—सामान्य विधि तथा दिनांक 27 जुलाई 2017 को तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तर्ण घोषित किया जाता है:—

वनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	विषय (4)
1	श्री बृजेश कुमार साहू	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	प्रथम—प्रक्रिया
2	श्री राकेश कुमार गोनेकर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—प्रक्रिया
3	श्री बृजेश कुमार साहू	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	द्वितीय—लेखा

(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्री राकेश कुमार गोनेकर	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—लेखा
5	श्री बृजेश कुमार साहू	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	तृतीय—सामान्य विधि
6	श्री राकेश कुमार गोनेकर	वनक्षेत्रपाल	तृतीय—सामान्य विधि
		इन्दौर संभाग	
7	श्री दिनेश कुमार मौर्य	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—लेखा
		जबलपुर संभाग	
8	श्री पावर सिंह डोडवे	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—लेखा
9	श्री रामजी शरण शर्मा	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	द्वितीय—लेखा
10	श्री रामजी शरण शर्मा	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	तृतीय—सामान्य विधि
		सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम भोपाल संभाग	
1	श्री सचिन सयदे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—वन विधि
2	श्री नवीन गर्ग	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम—वन विधि
3	श्री हीरालाल सनोडिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—वन विधि
4	श्री खुशाल सिंह बघेल	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—वन विधि
5	श्री सदेश महेश्वरी	सहायक वन संरक्षक	प्रथम—वन विधि
6	श्री कैलाश चन्द्र अहीर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—वन विधि
7	श्री पुनीत गोयल	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम—वन विधि
8	श्री नवीन गर्ग	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम—वन विधि
9	श्री खुशाल सिंह बघेल	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—सामान्य विधि
10	श्री संदेश महेश्वरी	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय—सामान्य विधि
11	श्री कैलाश चन्द्र अहीर	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—सामान्य विधि
12	श्री पुनीत गोयल	भा.व.से. प्रशिक्षु	द्वितीय—सामान्य विधि
13	श्री नवीन गर्ग	भा.व.से. प्रशिक्षु	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
14	श्री संदेश महेश्वरी	सहायक वन संरक्षक	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
15	श्री कैलाश चन्द्र अहीर	वनक्षेत्रपाल	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
16	श्री पुनीत गोयल	भा.व.से.प्रशिक्षु	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
		ग्वालियर संभाग	
17	श्री राजवेन्द्र मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	प्रथम—वन विधि
18	श्री देवानन्द पाण्डे	सहायक वन संरक्षक	प्रथम—वन विधि
19	श्री एम.एम.शर्मा	सहायक वन संरक्षक	प्रथम—वन विधि
20	सुश्री सुमन खरे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—वन विधि
21	श्री भुवनेश कुमार योगी	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—सामान्य विधि
22	श्री राजवेन्द्र मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय—सामान्य विधि
23	श्री एम.एम.शर्मा	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय—सामान्य विधि
24	श्री भुवनेश कुमार योगी	वनक्षेत्रपाल	तृतीय—सामान्य विधि
25	श्री राजवेन्द्र मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	तृतीय—सामान्य विधि
26	श्री देवानन्द पाण्डे	सहायक वन संरक्षक	तृतीय—सामान्य विधि
27	श्री एम.एस.शर्मा	सहायक वन संरक्षक	तृतीय—सामान्य विधि
28	श्री तेजसिंह चौहान	सहायक वन संरक्षक	तृतीय—सामान्य विधि
		इन्दौर संभाग	
29	श्री अरविंद चौहान	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—वन विधि
30	श्री अरविंद चौहान	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—सामान्य विधि
31	श्री अरविंद चौहान	वनक्षेत्रपाल	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा

(1)	(2)	(3)	(4)
जबलपुर संभाग			
32	श्री जरांडे ईश्वर रामहरी	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम—वन विधि
33	श्री योगेश्वर प्रसाद वर्मा	सहायक वन संरक्षक	प्रथम—वन विधि
34	श्री मार्टण्ड सिंह मरावी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—वन विधि
35	श्री विद्याभूषण मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	प्रथम—वन विधि
36	श्री मयंक चांदीवाल	सहायक वन संरक्षक	प्रथम—वन विधि
37	श्री प्रमोद सिंह	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय—सामान्य विधि
38	श्री जरांडे ईश्वर रामहरी	भा.व.से. प्रशिक्षु	द्वितीय—सामान्य विधि
39	श्री योगेश्वर प्रसाद वर्मा	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय—सामान्य विधि
40	श्री शरद सिंह	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—सामान्य विधि
41	श्री वीरभद्र सिंह परिहार	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—सामान्य विधि
42	श्री एम.आर. उइके	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—सामान्य विधि
43	श्री विद्याभूषण मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय—सामान्य विधि
44	श्री मयंक चांदीवाल	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय—सामान्य विधि
45	श्री जरांडे ईश्वर रामहरी	भा.व.से. प्रशिक्षु	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
46	श्री पप्पू सिंह बास्केल	वनक्षेत्रपाल	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
47	श्री विद्याभूषण मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
48	श्री मयंक चांदीवाल	सहायक वन संरक्षक	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा

महेन्द्र यादुवेन्दु, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास).

**कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, विंध्याचल भवन, भोपाल
शीतकालीन अवकाश बावत्**

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2017

क्र. सह—अधि.—स्था.—2017—2861.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम, 24 के प्रावधानों के अनुसार मान. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित शीतकालीन अवकाश दिनांक 22 दिसम्बर 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक में से सात दिन का लाभ उठाने की पात्रता है।

2. तदनुसार इस अधिकरण के मान. अध्यक्ष दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 30 दिसम्बर 2017 तक, शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश रहेगा।

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा।

मानीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

**कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ**

क्र. मासंवि—सामान्य—1127

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2020

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ—10—1/2015/1/9 दिनांक 27.03.2015 के परिपेक्ष्य में हायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 25—28 जुलाई 2017 तक आयोजित की गई, समें वनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 25.07.2017 को प्रथम—प्रक्रिया, दिनांक 26.07.2017 को द्वितीय—लेखा, दिनांक 27.07.2017 को तृतीय—सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 25.07.2017 को प्रथम—वन विधि, दिनांक 07.07.2017 को द्वितीय—सामान्य विधि तथा दिनांक 27.07.2017 को तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

//वनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम//

अनु.क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	विषय
भोपाल संभाग			
1	श्री बृजेश कुमार साहू	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	प्रथम—प्रक्रिया
2	श्री राकेश कुमार गोनेकर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—प्रक्रिया
3	श्री बृजेश कुमार साहू	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	द्वितीय—लेखा
4	श्री राकेश कुमार गोनेकर	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—लेखा
5	श्री बृजेश कुमार साहू	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	तृतीय—सामान्य विधि
6	श्री राकेश कुमार गोनेकर	वनक्षेत्रपाल	तृतीय—सामान्य विधि
इंदौर संभाग			
7	श्री दिनेश कुमार मौर्य	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—लेखा
जबलपुर संभाग			
8	श्री पावर सिंह डोंडवें	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—लेखा
9	श्री रामजी शरण शर्मा	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	द्वितीय—लेखा
10	श्री रामजी शरण शर्मा	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	तृतीय—सामान्य विधि

भोपाल संभाग			
1	श्री सचिन सयदे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—वन विधि
2	श्री नवीन गर्ग	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम—वन विधि
3	श्री हीरालाल सनोडिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—वन विधि
4	श्री खुशाल सिंह बघेल	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—वन विधि
5	श्री संदेश महेश्वरी	सहायक वन संरक्षक	प्रथम—वन विधि
6	श्री कैलाश चन्द्र अहीर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—वन विधि
7	श्री पुनीत गोयल	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम—वन विधि
8	श्री नवीन गर्ग	भा.व.से. प्रशिक्षु	द्वितीय—सामान्य विधि
9	श्री खुशाल सिंह बघेल	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—सामान्य विधि
10	श्री संदेश महेश्वरी	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय—सामान्य विधि
11	श्री कैलाश चन्द्र अहीर	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—सामान्य विधि
12	श्री पुनीत गोयल	भा.व.से. प्रशिक्षु	द्वितीय—सामान्य विधि
13	श्री नवीन गर्ग	भा.व.से. प्रशिक्षु	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
14	श्री संदेश महेश्वरी	सहायक वन संरक्षक	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
15	श्री कैलाश चन्द्र अहीर	वनक्षेत्रपाल	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
16	श्री पुनीत गोयल	भा.व.से. प्रशिक्षु	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
खालियर संभाग			
17	श्री राजवेन्द्र मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	प्रथम—वन विधि
18	श्री देवानन्द पाण्डे	सहायक वन संरक्षक	प्रथम—वन विधि
19	श्री एम.एम. शर्मा	सहायक वन संरक्षक	प्रथम—वन विधि
20	सुश्री सुमन खरे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—वन विधि
21	श्री भुवनेश कुमार योगी	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—सामान्य विधि
22	श्री राजवेन्द्र मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय—सामान्य विधि
23	श्री एम.एम. शर्मा	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय—सामान्य विधि
24	श्री भुवनेश कुमार योगी	वनक्षेत्रपाल	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
25	श्री राजवेन्द्र मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
26	श्री देवानन्द पाण्डे	सहायक वन संरक्षक	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
27	श्री एम.एम. शर्मा	सहायक वन संरक्षक	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
28	श्री तेजसिंह चौहान	सहायक वन संरक्षक	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
इंदौर संभाग			
29	श्री अरविंद चौहान	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—वन विधि
30	श्री अरविंद चौहान	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—सामान्य विधि
31	श्री अरविंद चौहान	वनक्षेत्रपाल	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
जबलपुर संभाग			
32	श्री जरांडे ईश्वर रामहरी	भावसे प्रशिक्षु	प्रथम—वन विधि
33	श्री योगेश्वर प्रसाद वर्मा	सहायक वन संरक्षक	प्रथम—वन विधि
34	श्री मार्तण्ड सिंह मरावी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम—वन विधि
35	श्री विद्याभूषण मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	प्रथम—वन विधि

36	श्री मयंक चांडीवाल	सहायक वन संरक्षक	प्रथम—वन विधि
37	श्री प्रमोद सिंह	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय—सामान्य विधि
38	श्री जरांडे ईश्वर रामहरी	भावसे प्रशिक्षु	द्वितीय—सामान्य विधि
39	श्री योगेश्वर प्रसाद वर्मा	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय—सामान्य विधि
40	श्री शरद सिंह	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—सामान्य विधि
41	श्री वीरभद्र सिंह परिहार	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—सामान्य विधि
42	श्री एम.आर.उड्के	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय—सामान्य विधि
43	श्री विद्याभूषण मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय—सामान्य विधि
44	श्री मयंक चांडीवाल	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय—सामान्य विधि
45	श्री जरांडे ईश्वर रामहरी	भावसे प्रशिक्षु	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
46	श्री पप्पू सिंह बास्केल	वनक्षेत्रपाल	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
47	श्री विद्याभूषण मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा
48	श्री मयंक चांडीवाल	सहायक वन संरक्षक	तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा

महेन्द्र यादुवेन्दु, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. 2722—भू अभि—2020

देवास, दिनांक 23 नवम्बर 2020

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवशा विहीन ग्राम भैंरासा प.ह.नं.42 तहसील सोनकछ जिला देवास मध्यप्रदेश का अधिकार अभिलेख निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाकर लागू किया जाता है।

चन्द्रमोली शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग (देखिये धारा 19 एवं 21)

क्र.—27—आ—82—19—20—8958

सागर, दिनांक 5 नवम्बर 2020

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समूचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) पारियोजना का नाम

मदनी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर
निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. ज़िला : सागर

2. तहसील : देवरी

3. ग्राम : रसेना

4. पट. ह. न.- : 64

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.780

संख्या क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खंड नं०	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	जानकी वेवा विनोद रजनीश रंजीत पिस विनोद रजनी पुत्री विनोद	भूमिस्वामी	43/1	0.80	0.02	निरंक	असिंचित	
2	कपिल वल्द बाबूलाल	भूमिस्वामी	44/1	1.10	0.16	निरंक	असिंचित	
3	अनुराग वल्द बाबूलाल	भूमिस्वामी	44/2	1.13	0.10	निरंक	असिंचित	
4	नर्मदा प्रसाद वल्द कामता	भूमिस्वामी	45	0.78	0.01	निरंक	असिंचित	
5	संजय बल्द रामसेवक	भूमिस्वामी	482	0.80	0.03	निरंक	असिंचित	
6	दीपेश वल्द शिवदयाल	भूमिस्वामी	485/1	0.83	0.04	निरंक	असिंचित	
7	रानीबाई वेवा कादररवाबबू वल्द कादररवा रवतोबाई भूरीबाई जिनाबाई पुत्री कादरखाँ इमामी वल्द धूले नजीरखाँ पिता हीरा बहीदन हल्लोबाई पुत्री हीरा अद्वला वल्द जहानीगुलशेट शमशेट बीरन पिता सुनी सावतीसोमत छोटीबाई पुत्री सुनी अली पिता धूलेगप्पोबाई पिता धले भूमि स्वामी वजीर जहर पिता रहमानलटकारी विधवा अकबर भूरी पिता अकबर कुंवर भूमि स्वामी बाई फलताबाई पुत्री अकबरजगरानी विधवा हुसैन झबू वल्द हल्के सुकके वल्द इमामी बछीबाई भूमि स्वामी पुत्री हुसैन दशोदाबाई वेवा पिलऊ मजीत अजीम पिस पिलऊ भूरीबाई पब्बोबाई पुत्री पिलऊ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	486/1	0.74	0.02	निरंक	असिंचित	

8	इदरीश वल्द सुकके खाँ	भूमि स्वामी	486/3	0.24	0.01	निरंक	असिंचित	
9	इदरीश वल्द सुकके खाँ	भूमि स्वामी	486/4	0.20	0.05	निरंक	असिंचित	
10	रानीबाई वेवा कादरखाबबू वल्द कादरखा खलतोबाई भूटीबाई जिनाबाई पुत्री कादरखाँ इमामी वल्द धूले नजीरखाँ पिता हीरा बहीदन हल्लोबाई पुत्री हीरा अब्दुल्ला वल्द जहानीगुलशेर शमशेर वीरन पिता सुन्नी सावतीसोमत छोटीबाई पुत्री सुन्नी अली पिता धलेगप्पोबाई पिता धले भूमि स्वामी वजीर जहर पिता रहमानलटकारी विधवा अकबर भूटी पिता अकबर कुवर भूमि स्वामी बाई फत्ताबाई पुत्री अकबरजगरानी विधवा हुसैन झब्बू वल्द हल्के सुकके वल्द इमामी बड़ीबाई भूमि स्वामी पुत्री हुसैन दशोदाबाई वेवा पिलऊ मजीत अजीम पिस पिलऊ भूटीबाई पब्बोबाई पुत्री पिलऊ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	488	2.35	0.06	निरंक	असिंचित	
11	रामसेवक वल्द नारायणप्रसाद	भूमि स्वामी	489	1.21	0.05	निरंक	असिंचित	
12	राजेखाँ वल्द नजीरखाँ	भूमि स्वामी	493	1.61	0.10	निरंक	असिंचित	
13	धनीराम वल्द चिन्ताई	भूमि स्वामी	494/1	0.95	0.02	निरंक	असिंचित	
14	शिवचरन पिता बाबूलाल	भूमि स्वामी	492/2	0.80	0.09	निरंक	असिंचित	
15	मुलाम वल्द झनझट	भूमि स्वामी	535	1.00	0.02	निरंक	असिंचित	
	योग:-		16	14.54	0.78	रु. 11,000/-		

2/6 प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्वस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्वस्थान स्कौम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

2) अधिनियम 2013 की घारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकर्ता और पुनर्वासन तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 14/12/2010 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियाँ, घारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा स्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-31-अ-82-19-20-9129

सागर, दिनांक 11 नवम्बर 2020

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यवित अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम : मदनी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला	: सागर
2. तहसील	: देवरी
3. ग्राम	: बेरसला
4. पट. ह. नं.-	: 65
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	: 3.390

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खंड नं०	कुल रकवा	अर्जित रकवा	नूनि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	देवी वल्द रायर सा. देह	भूमिस्वामी	232/1	1.13	0.10	निरंक	असिंचित	
2	विन्दावन वल्द मनीराम सा. बरौदा	भूमिस्वामी	232/2	1.13	0.10	निरंक	सिंचित	
3	कडोरी वल्द कन्छेदी सा. देह	भूमिस्वामी	233/1	0.55	0.12	निरंक	असिंचित	
4	कडोरी वल्द कन्छेदी सा. देह	भूमिस्वामी	235/2	0.15	0.06	निरंक	असिंचित	
5	नरेशकुमार वल्द झानचंद सा. रसेना	भूमिस्वामी	234	0.53	0.25	निरंक	सिंचित	
6	परबोत्तम पल्द कन्छेदी सा. देह	भूमिस्वामी	240/1	1.07	0.11	निरंक	सिंचित	
7	पुटटी वल्द छुटटी सा. देह	भूमिस्वामी	249	0.75	0.11	निरंक	असिंचित	
8	प्रतापकुमार पिता आमचंद सा. देह	भूमिस्वामी	253	0.75	0.11	निरंक	असिंचित	
9	चतुरुंज नायालिंग वल्द वल्दी व भागीरथ वल्द मिट्टू सा. देह	भूमिस्वामी	254	0.75	0.11	निरंक	असिंचित	
10	बाबूलाल वल्द रामा सा. रसेना	भूमिस्वामी	264	0.82	0.07	निरंक	सिंचित	
11	राजू वावू पिता रामा विनीता गुडडी मनता पुत्री रामा जयावाई वेवा रामा सा. देह	भूमिस्वामी	265	0.89	0.25	निरंक	सिंचित	
12	विजयसींग वल्द इमरत सा. देह	भूमिस्वामी	266	0.60	0.07	निरंक	सिंचित	
13	गोविंद सींग वल्द भगवान सींग सा. देह	भूमिस्वामी	267	1.01	0.07	निरंक	सिंचित	
14	रामा वल्द भगवान बाई जैबाई पति भगवानदास सा. देह	भूमिस्वामी	273	2.67	0.44	निरंक	सिंचित	
15	झिरीराम घनीराम वल्द चिन्ता कमला फूला पुत्री चिन्ता भगवानदास अव.आ.लूला पा. एवं रवंय मां सदारानी देवा लूला गुलाबबाई गीताबाई कमलाबाई पुत्री लूला सा. देह	भूमिस्वामी	274	0.95	0.22	निरंक	असिंचित	

16	झिरीराम धनीराम वल्द चिन्ता कमला लूला पुत्री चिन्ता भगवानदास अब.आ. लूला पा. एवं स्वयं मां सदारानी वेवा लूला गुलाबबाई गीताबाई कमलाबाई पुत्री लूला सा. रसेना रामदयाल वल्द नंदराम रतन शिखू वल्द गुपाल शिवदयाल लक्ष्मन वल्द मुलू सा. खजुरिया	भूमिस्वामी	275	0.36	0.11	निरंक	असिंचित	
17	झिरीराम धनीराम वल्द चिन्ता कमला लूला पुत्री चिन्ता भगवानदास अब.आ. लूला पा. एवं स्वयं भूमिस्वामी मां सदारानी वेवा लूला गुलाबबाई गीताबाई कमलाबाई पुत्री लूला नि. रसेना रामदयाल वल्द नंदराम भूमिस्वामी रतन शिखू वल्द गुपाल शिवदयाल लक्ष्मन वल्द मुलू सा. खजुरिया	भूमिस्वामी	276	0.35	0.09	निरंक	असिंचित	
18	छोटीबाई वेवा रामप्रसाद रामकेश ना. वा. भूपन्न ना.वा. दुर्गेश ना.वा. वल्द रामप्रसाद वली मां छोटीबाई सा. देह	भूमिस्वामी	286/1	1.03	0.08	निरंक	असिंचित	
19	प्रताप वल्द भगवानदास सा. देह	भूमिस्वामी	286/2	2.81	0.16	निरंक	सिंचित	
20	बलबंतर्सींग वल्द लक्ष्मनर्सींग सा. देह	भूमिस्वामी	287	3.40	0.16	निरंक	सिंचित	
21	रामकली पति प्रहलाद पता सा. रसेना	भूमिस्वामी	310/1	0.85	0.23	निरंक	सिंचित	
22	दबारका रामकिशन दुर्गा पिता. जयराम गुड़ीबाई मालतीबाई रामेतीबाई हरिबाई पुत्री जयराम लाडली वेवा जयराम सा. देह	भूमिस्वामी	311	1.00	0.19	निरंक	असिंचित	
23	वतीबाई वेवा ललजु शंकर वल्द ललजू सकुन गोदाबाई विनोदबाई पुत्री ललजु सा. विजौरा	भूमिस्वामी	312	0.57	0.13	निरंक	असिंचित	
24	मलखान वल्द परम सा. देह	भूमिस्वामी	314	0.36	0.05	निरंक	असिंचित	
	योग:-		24	24.48	3.39			

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 14/12/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-47-अ-82-19-20-9130

भूमि अर्जन, और पुनर्वसन और पुनर्वसन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्वसन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-।

(1) परियोजना का नाम

: मदनी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण

(2) भूमि का विवरण

हेतु

1. जिला

: सागर

2. तहसील

: देवरी

3. ग्राम

: पंजरा

4. पट. ह. न:-

: 65

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

: 0.940

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	स्वामित्व का प्रकार	स्वामित्व का प्रकार	स्वामित्व का प्रकार	भूमि पर दियते दस्तावेज़ परिसंपत्तियों का निर्वरण	भूमि का प्रकार	दिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नारायणसिंह वल्द भगतराम	भूमिस्वामी	3	1.01	0.08	निरंक	सिंचित	
2	काशीराम पिता रतन पता पंजरा देवरी सागर	भूमिस्वामी	9/1/2	0.85	0.10	निरंक	असिंचित	
3	निष्ठर्ष नावा. वल्द हर्षस्वरूप वली मां रंजना	भूमिस्वामी	62	2.93	0.04	निरंक	असिंचित	
4	हर्षस्वरूप वल्द बैनी प्रसाद	भूमिस्वामी	61	1.80	0.21	निरंक	असिंचित	
5	तुलसीराम पिता बारेलाल	भूमिस्वामी	59/5	0.40	0.11	निरंक	सिंचित	
6	हरिदाम पिता बारेलाल	भूमिस्वामी	59/6	0.74	0.11	निरंक	सिंचित	
7	रामरानी पति करनसीरा	भूमिस्वामी	80/5	0.40	0.08	निरंक	असिंचित	
8	संजय वल्द सत्यनारायण	भूमिस्वामी	89/1	4.00	0.21	निरंक	असिंचित	
योग:-				12.13	0.94			

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वसन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्वसन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वसन और पुनर्वसन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकर्ता और पुनर्वसन तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 14/12/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वसन और पुनर्वसन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-24-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6548

सागर, दिनांक 16 सितम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण 24अ/82/18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा पड़वार पट.ह. नं.-14 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र.-25-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6549

भू-अर्जन प्रकरण 25अ/82/18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा कुल्ल पट.ह.नं.-09 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र.-15-अ-82-19-20-भू-अर्जन-2020-6550

भू-अर्जन प्रकरण 15अ/82/19-20 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा कोटेया पट.ह. नं.-10 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 01/07/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में अर्जित भूमियों के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराये जाने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने, 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि के सर्वेक्षण एवं प्राप्त आपत्तियों की जांच इत्यादि का कार्य प्रभावित हुआ है कोविड-19 के कारण प्रभावित भूमियों के सर्वेक्षण एवं प्राप्त आपत्तियों की जांच इत्यादि का कार्य प्रभावित हुआ है जिससे प्रकरण में धारा 19(1) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र.-40-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6551

भू-अर्जन प्रकरण 40अ/82/18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा पुरा बिनैका पट.ह.नं.-15 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 14/02/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 13/02/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग**

क्र.-2-अ-82-19-20-कामिदा-13145

बैतूल, दिनांक 17 नवम्बर 2020

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हेक्टर)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	कामिदा	1.232	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कं.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)	मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

**अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)**

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हेक्टर	अर्जित रकबा हेक्टर
1	2	3	4	5
1	मंगली जौजे फुंदाजी, जाति कोरकू सा.देह भू-स्वामी	412	0.809	0.200
2	बेतौय वे. सुखराम, भीमराव व. सुखराम, जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	421	2.024	0.303
3	सुखराम व. कालू, जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	422	2.024	0.284
4	रामू. व. बिहारी, जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	423	2.023	0.445
योग:-			6.880	1.232

1— चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सूजित नहीं करेगा।

4— समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.—३—अ—८२—१९—२०—पलासपानी—१३१३८

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक —१ के कालम (१) से (४) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (६) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (५) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची—१

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हेक्टर)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	पलासपानी	2.722	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.२ बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)	मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची—२ (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हेक्टर	अर्जित रकबा हेक्टर
1	2	3	4	5
1	गुलबू पिता जीवता, टंडू पुत्र जीवता, जाति गोंड सा.देह भू—स्वामी	71/2	2.154	1.020
		77	2.334	0.403
2	महादेव पुत्र सोमदास, कुवरलाल पुत्र सोनसा, झमकी, झिमला पुत्री लकखू, साहेबलाल, सोनसा, बाघूलाल पुत्र सोनसा, सुकिया पुत्री सोनसा, मुशु पुत्र सोमदास, फुलवती पुत्री लकखू, ओझो, किडमू पुत्री सोमदास, भीमराव पुत्र लकखू, सन्तु पुत्र बिलसू पिया, सुई पुत्री बिलसू, सुख पुत्र बिलसू जाति गोंड, सा.देह भूमिस्वामी	71/1	2.153	1.020
3	गोविंद पुत्र शंकर, निशा, मनीषा पुत्री शंकर, मनोला बहोली बे. शंकर जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी योग:—	54	0.279	0.279
			6.920	2.722

1— चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (३) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन

पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई सव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4— समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील—भिचौली हप्सी,
जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश**

क्र.-785—भू—अर्जन—2020—21—राजस्व प्र. क्र.—01—अ—82—2019—20.—

भिचौली हप्सी, दिनांक 19 अक्टूबर 2020

प्रारूप - "घ"**{ नियम - 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक - 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक—819/भू—अर्जन/2019, भिचौली हप्सी, दिनांक 01-05-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम—मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम—हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला—उज्जैन तक उज्जैनी—उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03/05/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा—4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	भिचौली हप्सी	मुण्डलादोसदार, प. ह. न.-66	45	0.028
			50/2	0.008
			56/1/1	0.028
			63/2	0.042
			56/1/2	0.027
			56/2	0.035
			110	0.011
			119	0.054
			141/2	0.016
			142/1	0.027
			142/4	0.028
			144	0.036
इन्दौर	भिचौली हप्सी	मुण्डलादोसदार, प. ह. न.-66	158	0.007
			177/1	0.009
कुल योग			14	0.356

मुनीष सिंह सिकरवार, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी।

**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील—कनाड़िया,
जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश**

क्र.—697—भू—अर्जन—2020—21—राजस्व प्र. क्र.—03—अ—82—2019—20.—

कनाड़िया, दिनांक 27 नवम्बर 2020

**प्रारूप - "घ"
{ नियम - 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक—350 / भू—अर्जन / 2019, कनाड़िया, दिनांक 26-04-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम—मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम—हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला—उज्जैन तक उज्जैनी—उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि से उपयोक्ता के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03/05/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	कनाड़िया	ग्राम—छिटकाना, प. ह. न. — 48	1/4	0.004
			6/2/2	0.014
			14/2	0.017
			14/3	0.011
			15	0.028
			11/2/3/मिन-1	
			12/2/2/3/1/1	0.057
			11/2/3/मिन-3	
			12/2/3	
			13	0.044
इन्दौर	कनाड़िया	ग्राम—छिटकाना, प. ह. न. — 48	18/1/1	0.044
			18/1/2	0.047
			33/2	0.053
इन्दौर	कनाड़िया	ग्राम—छिटकाना, प. ह. न. — 48	34/2	0.011
			35	0.009
कुल योग			15	0.339



क्र.-699—भू—अर्जन—2020—21—राजस्व प्र. क्र.—06—अ—82—2019—20.—

प्रारूप - "घ" { नियम - 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक—356 /भू—अर्जन/2019, कनाड़िया, दिनांक 26-04-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम—मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम—हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला—उज्जैन तक उज्जैनी—उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03/05/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा—4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	कनाड़िया	ग्राम—निगनोटी, प. ह. न. — 38	1/1/1/6 21/2 28/1/4 26/1 27/1 40/2/2 40/4 40/5 44 42/2 45 98	0.005 0.018 0.044 0.040 0.045 0.009 0.034 0.020 0.010 0.008 0.005 0.008



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	कनाड़िया	ग्राम – निगनोटी, प. ह. न. – 38	48 49 66/1 66/2 67 99 256 257/2 258/1 258/3 258/2 262 276 263 265 266 267	0.010 0.010 0.013 0.005 0.015 0.009 0.038 0.032 0.013 0.026 0.012 0.040 0.016 0.027 0.005 0.011 0.011
कुल योग			29	0.539

क्र.-701-भू-अर्जन-2020-21-राजस्व प्र. क्र.-05-अ-82-2019-20.-

प्रारूप - "घ" { नियम – 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक – 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-354/भू-अर्जन/2019, कनाड़िया, दिनांक 26-04-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03/05/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्थानी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमो से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	कनाडिया	ग्राम - बिसनखेड़ा, प. ह. न. - 40	88/1 89/1 91/1 91/2 92 93/1 107/2/1/2 93/3 107/2/2/2/min-1 108/1 108/2 170/2	0.047 0.006 0.033 0.033 0.029 0.014 0.019 0.035 0.020 0.027 0.023 0.020
इन्दौर	कनाडिया	ग्राम - बिसनखेड़ा, प. ह. न. - 40	171/2 172/1/1 206 211 212/1 212/2 315 325/1/1/1 352/2/1/1 325/1/मिन-2 325/2/3/1 347/1 348/1/1 348/2/1 350/1 350/2	0.022 0.017 0.049 0.024 0.019 0.034 0.023 0.005 -- 0.054 -- 0.016 0.031 0.030 0.035 0.033
कुल योग			26	0.698



क्र.-703—भू—अर्जन—2020—21—राजस्व प्र. क्र.—02—अ—82—2019—20.—

प्रारूप - " घ "

{ नियम - 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक—348 / भू—अर्जन / 2019, कनाडिया, दिनांक 26-04-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम—मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम—हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला—उज्जैन तक उज्जैनी—उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03/05/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	कनाडिया	ग्राम—चौहानखेड़ी, प. ह. न. — 47	246/2	0.011
			247/1	0.008
			247/2	0.016
			247/4	0.017
			247/5	0.014
			249/1	0.020
			249/2	0.024
			249/3	0.023
			250/1/1/ख	0.023
			251/6	0.010
कुल योग			10	0.166



क्र.-705—मू—अर्जन—2020—21—राजस्व प्र. क्र.—01—अ—82—2019—20.—

प्रारूप - "घ" { नियम - 6 देखिए }

(अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-346/भू—अर्जन/2019, कनाड़िया, दिनांक 26-04-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।)

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03/05/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	कनाड़िया	ग्राम-खत्रीखेड़ी, प. ह. न. - 48	103/1 106 152/1 108/1 108/2 109/1 110 137/2/1 137/2/2 137/2/3 138/3/1मिन-1 138/3/1मिन-2	0.017 0.006 0.016 0.006 0.006 0.002 0.009 0.006 0.003 0.008 0.007 0.005



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	कनाड़िया	ग्राम – खत्रीखेड़ी, प. ह. न. – 48	138/3/2	0.005
			142/1/1	0.007
			142/1/2	0.005
			152/2	0.002
			142/1/3	0.006
			142/1/4	0.007
			154	0.014
			155/1	0.004
			156/1	0.005
			156/2	0.008
			156/3	0.002
कुल योग			23	0.156

अक्षय सिंह मरकाम, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

छतरपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2020

प्र.क्र. 01—अ—82—2020—21.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेन में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	चौका—कौड़न	1.530	अनुविभागीय अधिकारी (रा०)/ भू—अर्जन अधिकारी, राजनगर	पिपरिया तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू—अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 02—अ—82—2020—21.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेन में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	झमटुली	0.940	अनुविभागीय अधिकारी (रा०)/ भू—अर्जन अधिकारी, राजनगर	पिपरिया तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू—अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 03-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्द्धनापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेन में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	पिपरिया	7.710	अनुविभागीय अधिकारी (रा०)/ भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर	पिपरिया तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 0006-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्द्धनापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेन में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बक्स्वाहा	मढ़ियाखुर्द (वीरान)	8.629	अनुविभागीय अधिकारी (रा०)/ भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	गढ़ीसेमरा जलाशय योजना एप्रोच स्पिल एवं भराव क्षेत्र।

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।